

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

यू.ओ.नोट

विषय :- विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2018-19 हेतु राज्य को राशि जारी करने की स्वीकृति।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत भारत सरकार द्वारा 2018-19 हेतु राजस्थान राज्य को राशि स्वीकृत करने हेतु जारी निम्नांकित स्वीकृतियां सलंगन कर प्रेषित है :-

(राशि लाख रूपये में)

क्र.स.	पत्र क्रमांक व दिनांक	जारी राशि
अ	विशेष केन्द्रीय सहायता	
1	11015/01(16)/2018-टीएसपी- जनरल ग्रांट दिनांक 05.09.2018	507.00
2	11015/01(16)/2018-टीएसपी- पूंजीगत ग्रांट दिनांक 05.09.2018	2028.00
3	11015/01(16)/2018-टीएसपी- पूंजीगत ग्रांट दिनांक 27.09.2018	2164.992
4	11015/01(16)/2018-टीएसपी- जनरल ग्रांट दिनांक 27.09.2018	541.248
ब	संविधान के अनुच्छेद 275(1)	
1	11015/4(20)/2018-ग्रांट- पूंजीगत अनुदान दिनांक 14.09.2019	3319.82

प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी की बैठक के मिनिटस की प्रति आपको यू.ओ.नोट क्रमांक 20366-79 दिनांक 11.06.2018 द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी द्वारा विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत अनुमोदित राशि कमशः 9026.24 एवं 11066.06 लाख के विरुद्ध शत प्रतिशत राशि राज्य को हस्तांतरित कर दी गई है। अतः प्रोजेक्ट अप्रेजल कमेटी द्वारा अनुमोदित कार्यक्रमों अनुरूप प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृतियों के प्रस्ताव लेखा शाखा के माध्यम से राज्य सरकार को प्रेषित करावे एवं कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की कार्यवाही करावे।

संयुक्त निदेशक(आयोजना)

प्रभारी अधिकारी,
शिक्षा/अभियान्त्रिकी/इन्फ्रा/माडा/लेखा/ तक.शिक्षा/कृषि/
स्वच्छ/प्रबोधन/कम्प्यूटर/सहरिया/सामान्य/सहरिया/खेल
कार्यालय हाजा।

क्रमांक:-एफ33(बी) योजना/सीटीएडी/जोओआई/2018-19/
प्रतिलिपि :-

दिनांक 01.10.18

35022-38

1. निजी सचिव, आयुक्त, कार्यालय हाजा।
2. निजी सहायक, अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), कार्यालय हाजा।

संयुक्त निदेशक(आयोजना)